प्राचार्य का कार्यालय

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

दिनांक – 04.09.2015 को इस चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रकोष्ठ में प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षो की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए ।

इस बैठक में अधीक्षक एवं सभी विभागाध्यक्षों के मंत्रणा के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

1) तृतीय एवं चतुर्थवर्ग कर्मचारियों को Priority Basis पर आवास आवंटन किया जाएगा । संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कार्य की महत्ता को देखते हुए आवास आवंटन किया जाएगा ।

2) नव निर्मित तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय आवास में जो भी कर्मचारी प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा बिना आवंटन के रह रहें हैं, वे एक सप्ताह के अन्दर अपना आवास खाली कर देंगे । तय समय सीमा के अन्दर आवास खाली नही करने पर उनके वेतन पर रोक लगाते हुए उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

3) वैसे कर्मचारी, जो आवास को अपने नाम पर आवंटित करा कर किसी दूसरे कर्मचारी को आर्थिक लाभ हेतु सौंप दिए हैं, वे एक सप्ताह के अन्दर पुनः अपने आवंटित आवास में निवास करें अथवा उन्हे आवास की आवश्यकता नही हो, तो लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें, अन्यथा उनके आवास आवंटन को स्वतः रद्द करते हुए उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

4) अस्पताल साईड से अधीक्षक द्वारा चयनित अस्पताल कर्मियों को ही उनके कोटे (50%) से आवास आवंटित किया जाएगा ।

5) वैसे सेवा निवृत कर्मचारी जो अवैध रूप से आवास में अब तक रह रहें हैं, वे एक सप्ताह के अन्दर स्वतः अपना आवास खाली कर दें, अन्यथा बाजार दर पर आवास भत्ता कटौती करने के साथ उनके विरूद्व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

6) इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जो भी आवास है, उसमे से 50% आवास को कॉलेज के कर्मचारी हेतु एवं 50% आवास को अस्पताल के कर्मचारी हेतु आवंटित किया जाएगा ।

7) डॉक्टर आवास में जो अनाधिकृत रूप से रह रहें हैं, वे भी एक सप्ताह में अपना आवास खाली कर दें, अन्यथा उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

8) सभी छात्र एवं छात्राएँ अपने नाम पर आवंटित छात्रावास (कमरें) में ही रहना सुनिश्चित करें । किसी दूसरे के आवंटित कमरें में पायें जाने पर आपका भविष्य अधर में लटक सकता है । ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के रैगिंग अथवा शोषण में पकड़े जाने पर आप सीधे टरमिनेट कर दिए जायेंगे ।

9) पारा मेडिकल छात्र जीवक छात्रावास को अविलम्ब युद्व स्तर पर खाली कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा चिन्हित छात्रावास में शिफ्ट करें, ताकि इस सत्र के नये छात्राओं को सेपरेट जीवक छात्रावास आवंटित कराया जा सके ।

10) इस चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी छात्र/छात्राओ का रैगिंग न हो, इसके लिए सभी विभागाध्यक्ष – सह – एन्टी रैगिंग के सदस्य अपने स्तर से समुचित कार्रवाई करेंगे । यदि कोई भी छात्र रैगिंग में संलिप्त पाये जाते हैं, तो उन पर अविलम्ब कार्रवाई हेतु एम0सी0आई0 को सूचित किया जाए ।

11) सभी वार्डेन/सहायक वार्डेन (छात्र/छात्रा छात्रावास) यह सुनिश्चित करें कि छात्र एवं छात्रा अपने नाम पर आवंटित छात्रावास (कमरे) में ही रहें । यदि कोई छात्र/छात्रा ऐसा नही करते हैं, तो अविलम्ब उसकी सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके ।

12) सभी विभाग कें विभागाध्यक्षों एवं सभी चिकित्सक/शिक्षकों द्वारा नियमित Weekly Log Book भरकर प्राचार्य के ईमेल पर भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

प्राचार्य 9/9/15.

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय

मुजफ्फरपुर